[redacted] [redacted] [redacted]

(178)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र0क0 /2017 अपील R 558-I-12

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड
द्वारा आज दि. 6/2/17 को
प्रस्तुत
6-2-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रमोद आ. राधेश्याम गोंड
निवासी अर्जुननाला, तहसील कटंगी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)———अपीलार्थी

बनाम

म. प्र. शासन ———प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा – 44 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय सिवनी के प्रकरण कमांक 34/अ–21/RCMS/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 10–1–2017 से परिवेदित होकर।

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर–2

माननीय,

अपीलार्थी का अपील आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:–

प्रकरण के तथ्य:–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम साल्हे प0ह0न0–9 रा0 नि0 बरघाट तहसील बरघाट जिला सिवनी में स्थित भूमि खसरा नंबर 677/88, 676/2, 676/1 रकवा 0.09, 0.76, 0.48 हैक्टर भूमि जो कि अपीलार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। जिस पर वर्तमान में अपीलार्थी के मालिकाना हक व राजस्व अभिलेख में उसका नाम भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज होकर, उक्त भूमि अकृषि व असिंचित है। अपीलार्थी द्वारा अपनी शेष बची हुई भूमि ग्राम कौड़िया में स्थित खसरा नंबर 49/3 रकबा 0.80 हैक्टर को उपजाउ बनाने के लिए रूपयों की आवश्यकता पडने से अपीलार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 677/88, 676/2, 676/1 रकवा 0.09, 0.76, 0.48 हैक्टर भूमि का गैरआदिवासी से विकय का अनुबंध किया गया।

यहकि, अपीलार्थी द्वारा अपर कलेक्टर महोदय सिवनी के समक्ष ग्राम साल्हे

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 558/I/2017 अपील जिला सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-2-2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दुष्यन्त कुमार सिंह द्वारा यह अपील कलेक्टर सिवनी के प्रकरण कमांक 34/अ-21/RCMS/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 10-1-2017 से परिवेदित होकर, म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि,ग्राम साल्है पटवारी हल्का नंबर 9 राजस्व निरीक्षक मण्डल, बरघाट तहसील बरघाट, जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नंबर 677/88, 676/2, 676/1 रकबा 0.09, 0.76, 0.48 हैक्टर भूमि अपीलार्थी के स्वत्व स्वामित्व व आधित्य की है । जिस पर अपीलार्थी का मालिकाना हक व राजस्व अभिलेख मे उसका नाम भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज होकर, उक्त भूमि अकृषि व अंसिचित है। अपीलार्थी द्वारा अपनी शेष बची भूमि ग्राम कौडिया में स्थित खसरा नंबर 49/3 रकबा 0.80 हैक्टर एवं तहसील कटंगी, जिला बालाघाट स्थित पैत्रिक भूमि को उपजाऊ बनाने तथा अंय लोगो से लिए गये कर्ज को अदा करने व अपनी पत्नी के ईलाज के लिए रूपयों की आवश्यकता पडने से अपीलार्थी द्वारा भूमि खसरा नंबर 677/88, 676/2, 676/1 रकबा 0.09, 0.76, 0.48 हैक्टर भूमि का गैरआदिवासी से विकय का अनुबंध किया जाकर, विकय करने की अनुमति हेतु आवेदन अपर कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे प्रकरण कमांक 34/अ-21/RCMS/2016-17 पर पंजीवद्ध कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को अनुविभागीय अधिकारी बरघाट को इस निर्देश के साथ भेजा गया कि वे आवश्यक जांच उपरान्त अभिमत प्रस्तुत करें। अनुविभागीय अधिकारी बरघाट ने उक्त आवेदन तहसीलदार बरघाट को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा। तहसीलदार बरघाट ने आवश्यक जांच उपरांत तथा उभयपक्ष के कथन लेकर अपना प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित	

किया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया। तदुपरांत कलेक्टर ने आलोच्य आदेश दिनांक 10–1–2017 पारित कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत भूमि विकय का आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर के इसी आलोच्य आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि, ग्राम साल्है पटवारी हल्का नंबर 9 राजस्व निरीक्षक मण्डल, बरधाट तहसील बरधाट, जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नंबर 677/88, 676/2, 676/1 रकबा 0.09, 0.76, 0.48 हैक्टर भूमि के विकय की अनुमति हेतु आवेदन अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी के आवेदन पर से अपर कलेक्टर महोदय ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय से जांच कराई तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार महोदय से जांच कराकर अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया, जिसमें भूमि विकय की अनुशंसा की गई किन्तु कलेकटर ने उक्त प्रतिवेदन को अनदेखा कर यह मानकर कि विवादित भूमि के विकय के संबंध में अपीलार्थी द्वारा काई ठोस दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण अपीलार्थी का विकय अनुमति आवेदन निरस्त करने में न्यायिक त्रुटि की गई है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर वर्तमान में अपीलार्थी रिकार्डेड भूमि स्वामी है अपीलार्थी द्वारा अपना कर्जा अदा करने व अपनी पत्नी का इलाज कराने एवं शेष बची भूमि को उन्नत एंव उपयोगी बनाने के उद्देश्य से भूमि के विस्तारीकरण हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से प्रश्नाधीन भूमि को विकय करना चाहता है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि के विकय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ प्रत्यर्थी शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अपर कलेक्टर द्वारा उसे अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्षों के कथन लेने के उपरांत भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा भूमि अंतरण के पश्चात वहां के निवासियों को सामाजिक, सास्कृतिक तथा धार्मिक हितो की पूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। अंतरण की जाने वाली भूमि के अंतरण से सार्वजनिक निस्तार सुविधा में बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं हैं। भूमि अंतरण से विकेता को क्षति होने की संभावना नहीं है। भूमि विकय के बाद अपीलार्थी भूमिहीन की श्रेणी में नही आवेगा। प्रश्नाधीन भूमि विकय पश्चात् अपीलार्थी के पास ग्राम कौडिया में 0.80 हैक्टर एवं तहसील कटंगी, जिला बालाधाट स्थित पैत्रिक भूमि शेष बचेगी। कलेक्टर द्वारा मुख्य रूप से अपीलार्थी को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विकय की अनुमति देने से इन्कार किया है कि अपीलार्थी द्वारा शेष बची भूमि के सुधार कार्य किये जाने का ठोस दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया इसके अतिरिक्त आवेदक के पास उपरोक्त भूमि विकय पश्चात 0.80 हैक्टर भूमि एवं बालाधाट में पैत्रिक भूमि शेष बचेगी। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा विकय की जा रही भूमि के अंतरण से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी तथा विकय पश्चात अपीलार्थी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नाही अपीलार्थी भूमिहीन होगा। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने अपीलार्थी को भूमि विकय की अनुमति देने से इंकार किया है, वे आधार न्यायसंगत एंव औचित्यपूर्ण नहीं है, इस कारण कलेक्टर का आलोच्य आदेश विधिविरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार कर, कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-1-2017 निरस्त किया जाता है, साथ ही अपीलार्थी को उसके भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम साल्है पटवारी

हल्का नंबर 9 राजस्व निरीक्षक मण्डल, बरधाट तहसील बरधाट, जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नंबर 677/88, 676/2, 676/1 रकबा 0.09, 0.76, 0.48 हैक्टर भूमि के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है।

1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।

2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी को दी जावेगी।

3– भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 6 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश,ग्वालियर